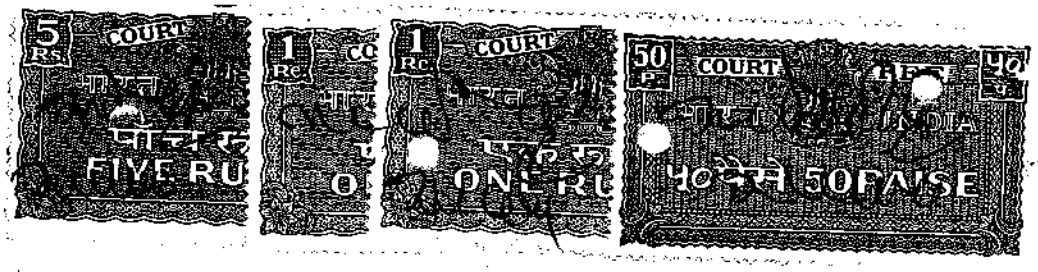

COURT 5 Rs FIVE RUPEES · COURT 1 Re ONE RUPEE · COURT 1 Re ONE RUPEE · COURT 50 P INDIA 50 PAISE

22

C.F. Rs-7.50

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /९३ निगरानी

RN/4-1/R/531/93

श्री केoडीo दीक्षित 2.7.93
अभिभाषक, द्वारा आज दिनांक
से प्रस्तुत.

2.7.93
क्लर्क ऑफ कोर्ट,
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह,
निवासी ग्राम खड़ेरी का पुरा, परगना
अटेर, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश

--- प्रार्थी

विरुद्ध

जनवेद सिंह पुत्र श्री छोटेसिंह,
निवासी ग्राम खड़ेरी का पुरा,
परगना अटेर, जिला भिण्ड, म०प्र०

-- प्रतिप्रार्थी

2/7/93

निगरानी विरुद्ध निर्णय दिनांक ११-५-९३ अपर आयुक्त महोदय, चम्बल सम्भाग, ग्वालियर, म०प्र० अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश लेन्ड रेव्हेन्यू कोड १९५९ प्रकरण क्रमांक १६१/९२-९३ अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग द्वारा पारित आदेश विधि एवम् तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किया जाना योग्य है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – आर0एन0/4–1/आर/531/93 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 161/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 11 मई, 1993 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील अटेर के ग्राम खड़ेरी का पुरा के पटेल विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के कारा ग्राम के पटेल का पद रिक्त हुआ । उस रिक्त पद की पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दज कर इश्तहार जारी करने के उपरांत प्रकरण नायब तहसीलदार, अटेर को जांच प्रतिवेदन के लिए भेजा । नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–3–91 द्वारा अनावेदक जनवेद को पटेल पद हेतु पात्र मानकर उसकी स्थाई नियुक्ति की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपील कलेक्टर के समक्ष पेश हुई, कलेक्टर ने उक्त अपील में दिनांक 31.3.93 को आदेश पारित कर प्रकरण अनुविभागीय अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण	

आर.एन./4-1/अर/531/97(?)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रिकार्ड के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण पटेली नियुक्ति के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटेली पद हेतु दर्शाई गई अपात्रता के बारे में दोनों उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है । उन्होंने यह भी पाया है कि दोनों उम्मीदवारों के नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है कि एक से अधिक उम्मीदवारों के पटेली के एक पद हेतु पात्र पाए जाने की दशा मे पटेली नियमों के नियम 8 के अनुसार ग्राम के अभिलिखित भूमिस्वामी की इच्छाओं को अवधारित करना आवश्यक होता है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता ह । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	